न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : दीपेन्द्र सिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2018 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 09.01.2018**

श्री मुकेश पिता शिवनारायण सुथार, निवासी ग्राम झरझनी,
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये पटवार हल्का झरझनी,
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार रावतभाटा बमिसल नं. 369/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017

उपस्थितः– वकील अपीलान्टः– श्री खूमराज कुमावत

विपक्षी :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 18.01.2019**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय रावतभाटा द्वारा दिनांक 15.12.2017 को आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को ग्राम झरझनी की कब्जे आराजी से बेदखल कर जुर्माना राशि से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त न्यायालय ने आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। जिस दिन अपीलान्ट को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस मिला उस दिन मे न्यायालय में उपस्थित हुआ था एवं मैने उस दिन एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि मुझे नोटिस प्रथम बार प्राप्त हुआ है। मै इस प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर पैरवी करवाना चाहता हुँ तथा उक्त प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, लेकिन न्यायालय ने मेरा प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश पारित कंर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए इस बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद न्यायालय ने पूर्वाग्रह से गृसित होकर आदेश ही पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय ने

अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर नही दिया एवं न ही पटवार हल्का से जिरह करने का अवसर दिया। प्रार्थी लघु काश्तकार है, कृषि के अलावा अपीलान्ट के पास आय का अन्य कोई साधन नही है। प्रार्थी अपीलान्ट कृषि पर निर्भर रहकर अपने परिवार का लालन पालनकर रहा है, अपीलान्ट नियमन का पात्र है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायायल का निर्णय दिनांक 15.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिलाया जावें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रालवी तलब की गयी।

प्रकरण पर बहस सुनी गयी जिसमें वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रकरण पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया गया जिससे अपीलान्ट अपना पक्ष एवं अभिलेख प्रस्तुत नही कर सका। अपीलान्ट का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है जिससे प्रकरण पर विवादित आराजीयात अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर जवाब एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का समय दिया जावें तथा उक्त भूमि को अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश अधिनस्थ न्यायालय को जारी किये जावें।

प्रकरण पर पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया परन्तु अपीलान्ट द्वारा नियत दिनांक को कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रकरण नियमन की श्रेणी में नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि मान्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

प्रकरण पर बहस सुनी गई तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2017 को सुनवाई हेतु अपीलान्ट को सूचना पत्र दिनांक 04.12.2017 को जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक 15.12.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण पर पैरवी हेतु समय दिया जावे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही देकर निर्णय पारित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट में गत वर्ष का अतिक्रमण

होने का अंकन नही किया तथा न ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित की। प्रस्तुत रिपोर्ट के पृष्ठ भाग पर अंकित पर्चा मौका में किसी प्रकार का इन्द्राज नही है एवं न ही पटवारी हल्का एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ध्यान नही दिया गया है। न्याय व्यवस्था की दृष्टि से अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण पर प्रार्थी/अतिक्रमी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए परन्तु नही दिया गया। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखना न्यायोचित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.12.2017 को निरस्त कर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अतिक्रमी को अपना पक्ष एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाकर विधिवत नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ